न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी : श्री कैलाश चन्द्र लखारा, आर.ए.एस

**अपील संख्या आर टी ए/399/2018**

उनवान

1. दूदा पिता हरदेव गुर्जर निवासी चैनपुरिया तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
2. बालू पिता हरदेव गुर्जर निवासी चैनपुरिया तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. जीया उर्फ जीवराज पिता मेघा गुर्जर निवासी चैनपुरिया तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
2. सुखदेव पिता मेघा गुर्जर निवासी चैनपुरिया तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
3. बालू पिता राजू गुर्जर निवासी चैनपुरिया तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
4. श्रीमती प्रेम पत्नी जीवराज गुर्जर निवासी चैनपुरिया तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
5. देवकरण पिता देबी गुर्जर निवासी चैनपुरिया तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
6. पप्पू पिता स्व0 छोटू गुर्जर निवासी चैनपुरिया तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
7. दूरा पिता राजू निवासी चैनपुरिया तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
8. रामदेव पिता बालू निवासी चैनपुरिया तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
9. राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश, जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के प्रकरण

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

संख्या 254/2014 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 7.5.2018
अधिवक्तागण :-

1. श्री एस एल त्रिवेदी, अधिवक्ता अपीलार्थी
2.प्रत्यर्थी सख्या 1से 8 एक्स पार्टी
3.श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 27.12.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा चैनपुरिया तहसील हुरडाजिला भीलवाडा आराजी नम्बर 631 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा, आराजी नम्बर 632 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा, आराजी नम्बर 788 रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा, आराजी नम्बर 582 रकबा 7 बीघा 05 बिस्वा, आराजी नम्बर 585 रकबा 13 बीघा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 642 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा स्थित है। खातेदारान पन्ना एवं मांगू के परिवार का सजरा निम्न प्रकार है :-

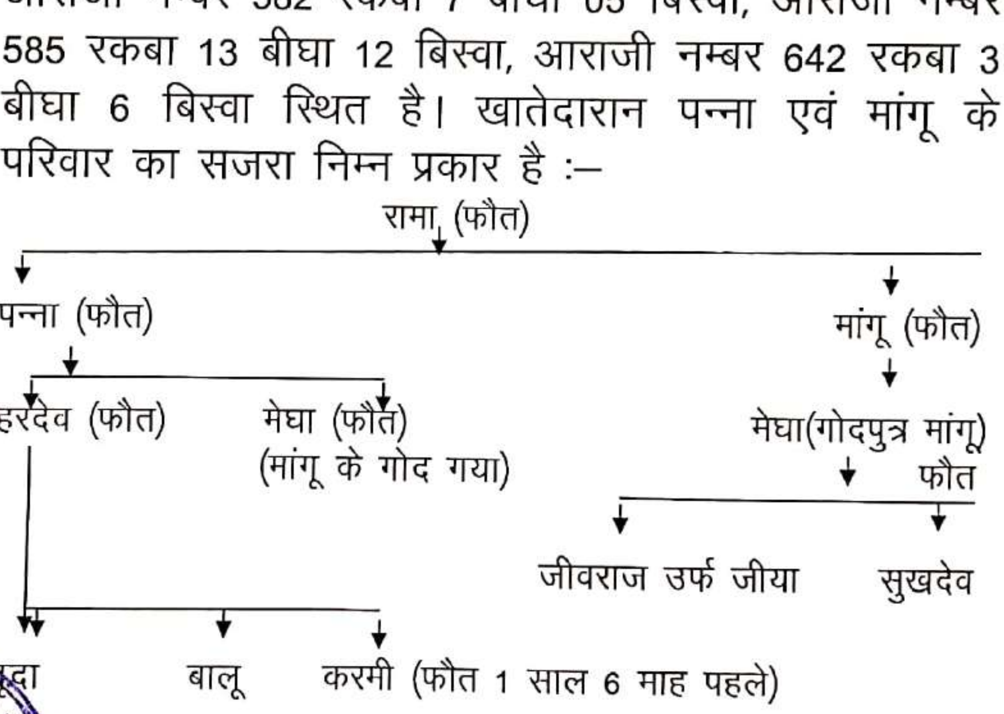


खातेदार पन्ना लगभग 25 वर्ष पूर्व फौत हो गया तथा पन्ना का भाई मांगू लगभग 65-70 वर्ष पूर्व फौत हो गया।

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

जिससे मांगू के खातेदारी आराजी नम्बर 376, 451, 529, 688 कुल किता 4 कुल रकबा 05 बीघा 07 बिस्वा वाके ग्राम चैनपुरिया का विरासत का खाता मांगू के स्थान पर बहैसियत गोदपुत्र मेघा के नाम पर परिवर्तित हुआ। जिसका इन्द्राज जमाबंदी संवत 2056–2059 में किया गया । स्व0 मेघा मांगू के गोद उसके पिता स्व0 रामा के मरने के बाद चला जाने से मांगू के मरने पर विरासत का खाता मेघा के नाम खोला गया। स्व0 मेघा स्व0 पन्ना जी के जीवनकाल में ही मांगू के गोद चले जाने से मांगू की कुलिया आराजियात मेघा के नाम परिवर्तित हुई।

2. खातेदार पन्ना लगभग 1981 में फौत हो गया जिसका विरासत का खाता हरदेव के नाम पर पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 20.9.1982 में पटवारी ने पन्ना के एक मात्र पुत्र हरदेव के नाम पर परिवर्तन की टिप्पणी की तथा पंचायत भोजरास ने दिनांक 23.9.1982 को हरदेव पिता पन्ना गुर्जर के नाम रद्दोबदल की स्वीकृति दी लेकिन रेवेन्यू कर्मचारियों ने पंचायत निर्णय के विरूद्ध निर्णय के बाद भी हरदेव के नाम के उपर मेघा का नाम बढाकर राजस्व रेकार्ड में सारभूत परिवर्तन किया है तथा नामान्तरकरण संख्या 203 दिनांक 19.1.1983 में पटवारी हल्का ने नामान्तरकरण पर पटवारी हल्का ने उसकी रिपोर्ट में पन्ना के दो पुत्र हरदेव व मेघा दर्शित किया कि मेघा मांगू के गोद चले जाने से विरासत हरदेव के नाम परिवर्तत किया जाए तथा तत्कालीन इंस्पेक्टर ने पटवारी की रिपोर्ट को सही बताते हुए हरदेव के साथ मेघा का नाम जोडा गया जो कतई गलत है। नामान्तरकरण संख्या 185 का इन्द्राज जमाबंदी संवत 2035 से 2038 में किया गया उसमें हरदेव के साथ उपर अलग से मेघा का नाम कोष्ठक में दर्ज किया गया जो बनावटी, फर्जी एवं बाद में किया हुआ साफ झलकता है।

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाड़ा

3. मेघा हरदेव के जीवनकाल मे ही मांगू के गोद चला गया तथा मेघा के गोद जाने से पूर्व पन्ना स्वयं जिन्दा था। पन्ना के जीवन काली में मेघा गोद चले जाने से पन्ना का एकमात्र विधिवत वारिस हरदेव रहता है। पन्ना के स्वामित्व एवं खातेदारी की आराजियात में मेघा का कोई हक हिस्सा नहीं बनता जिससे मेघा का नाम हरदेव के साथ पन्ना की खातेदारी आराजियात में जोडा गया है वह विधिविरूद्ध होकर निरस्त योग्य है। जिससे वादीगण पन्ना हरदेव के एकमात्र उत्तराधिकारी होने से पन्ना एवं हरदेव की खातेदारी आराजियात एकमात्र खातेदारी आराजियात के घोषणा कराने के अधिकारी है। खातेदार स्व0 मांगू उसके भाई स्व0 पन्ना की मृत्यु से पूर्व मांगू का स्वर्गवास हो चुका था और पन्ना का बेटा मेघा पन्ना के जीवन काल में ही मांगू गोद चला गया । उसके बाद पन्ना का स्वर्गवास लगभग 25 वर्ष पूर्व फौत होने से मेघा का कोई हित स्वत्व पन्ना की जायदाद में नहीं रहा । जिससे पन्ना की जायदाद में मेघा का नाम जो अंकित किया गया है विधिविरूद्ध है। पन्ना का आराजियात मेघा के नाम की गई है वह निरस्त योग्य है तथा स्वत्र खातेदार हरदेव पन्ना का एकमात्र उत्तराधिकारी है।

4. अतः वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के खिलाफ घोषणात्मक की डिक्री इस आशय की पारित की जावे कि वादीगण आराजी नम्बर 631 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा , आराजी नम्बर 632 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा, ग्राम चैनपुरिया तथा आराजी नम्बर 582 रकबा 7 बीघा 05 बिस्वा, आराजी नम्बर 585 रकबा 13 बीघा 12 बिस्वा , आराजी नम्बर 642 रकबा 3 बीघा 06 बिस्वा वाके ग्राम चैनपुरिया का 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध विभाजन की डिक्री पारित वादीगण को आराजी नम्बर 631, 632 तथा

(कैलाश चन्द्र [illegible])
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

आराजी नम्बर 788 में से 1/4 हिस्से एवं आराजी नम्बर 582, 585, व 642 में 1/3 हिस्सा दिलवाये जाने की डिक्री पारित की जावे व पक्षकारान के खाते व लगान अलग कायम करने की डिक्री पारित की जाये।

5. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा वाद पत्र खारिज किया गया जिससे व्यथित होकर अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।

6. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि तनकी नम्बर 1 व 2 का निर्णय अपीलाण्ट/वादी के पक्ष में करने के बावजूद अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री द्वारा अपीलाण्ट/वादीगण का वाद पत्र खारिज करने में भारी अवैधानिकता की है।

8. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि तनकी नम्बर 3 अपीलाण्ट के विरूद्ध निर्णित कर अधीनस्थ न्यायालय ने घोर अवैधानिकता की है जबकि अपीलाण्ट द्वारा मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की थी। तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 2,3,5,6,7, एवं 8 द्वारा इकबालिया जवाब दावा पेश कर अपीलाण्ट्स के वाद को स्वीकार किया । फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट्स का वाद पत्र खारिज किये जाने में अवैधानिकता की है।

9. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी सख्या 4,5,6 पर बिना विवेचन किये एवं बिना निर्णित किये तनकी नम्बर 3 को

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

निर्णित कर देने से इन तनकियात को निर्णित नहीं कर विधिविरूद्ध निर्णय पारित किया है । जबकि अधीनस्थ न्यायालय को प्रत्येक तनकी को पृथक–पृथक रूप से साक्ष्य, दस्तावेज के आधार पर करना चाहिये था।

10. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि रेस्पोडेण्ट नम्बर 1 जीवराज उर्फ जीया एवं सुखदेव के स्व0 पिता मेघा जी मांगू पिता रामा के गोद गये थे। तथा मांगू की काश्त की आराजियात विरासत से गोदपुत्र अंकित करते हुए मेघा के नाम परिवर्तित हुई जिसे मेघा पुत्र सुखदेव ने अपने जवाब दावे में स्वीकार किया फिर भी अपीलाण्ट्स का वाद खारिज करने में अवैधानिकता की है।

11. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रतिवादीगण की साक्ष्य मे प्रकरण लंबित था पक्षकारान के के बीच कोई समझौता नहीं हुआ था । फिर भी प्रकरण का निस्तारण राजस्व लोक अदालत कैम्प में किया गया । मामला राजस्व अभियान में निस्तारण योग्य नही था। अतः अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निस्त किया जावे।

12. प्रत्यर्थीगण के बावजूद सूचन अनुपस्थित रहने से अपीलार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेघा हरदेव के जीवनकाल मे ही मांगू के गोद चला गया तथा मेघा के गोद जाने से पूर्व पन्ना स्वयं जिन्दा था। पन्ना के जीवन काली में मेघा गोद चले जाने से पन्ना का एकमात्र विधिवत वारिस हरदेव रहता है। पन्ना के स्वामित्व एवं खातेदारी की आराजियात में मेघा का कोई हक हिस्सा नहीं बनता जिससे मेघा का नाम हरदेव के साथ पन्ना की खातेदारी आराजियात में जोडा गया है वह विधिविरूद्ध होकर निरस्त

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

योग्य है। जिससे वादीगण पन्ना हरदेव के एकमात्र उत्तराधिकारी होने से पन्ना एवं हरदेव की खातेदारी आराजियात एकमात्र खातेदारी आराजियात के घोषणा कराने के अधिकारी है। खातेदार स्व0 मांगू उसके भाई स्व0 पन्ना की मृत्यु से पूर्व मांगू का स्वर्गवास हो चुका था और पन्ना का बेटा मेघा पन्ना के जीवन काल में ही मांगू गोद चला गया । उसके बाद पन्ना का स्वर्गवास लगभग 25 वर्ष पूर्व फौत होने से मेघा का कोई हित स्वत्व पन्ना की जायदाद में नहीं रहा । जिससे पन्ना की जायदाद में मेघा का नाम जो अंकित किया गया है विधिविरूद्ध है। पन्ना का आराजियात मेघा के नाम की गई है वह निरस्त योग्य है तथा स्वत्र खातेदार हरदेव पन्ना का एकमात्र उत्तराधिकारी है।

13. अतः वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के खिलाफ घोषणात्मक की डिक्री इस आशय की पारित की जावे कि वादीगण आराजी नम्बर 631 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा , आराजी नम्बर 632 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा, ग्राम चैनपुरिया तथा आराजी नम्बर 582 रकबा 7 बीघा 05 बिस्वा, आराजी नम्बर 585 रकबा 13 बीघा 12 बिस्वा , आराजी नम्बर 642 रकबा 3 बीघा 06 बिस्वा वाके ग्राम चैनपुरिया का 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध विभाजन की डिक्री पारित वादीगण को आराजी नम्बर 631, 632 तथा आराजी नम्बर 788 में से 1/4 हिस्से एवं आराजी नम्बर 582, 585, व 642 में 1/3 हिस्सा दिलवाये जाने का निवेदन किया । अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 18.11.2014 को प्रतिवादी संख्या 2,3,5,6,7,8 की ओर से इकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत किया गया था। प्रतिवादी संख्या 1 जीया उर्फ जीवराज द्वारा भी जवाब दावा दिनांक 14.12.2014 को प्रस्तुत किया । जिस पर तनकियात कायम की गई।

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाड़ा

अपीलार्थीगण/वादी द्वारा 2 गवाह के बयान भी करवाये गये। प्रकरण को प्रतिवादी की साक्ष्य में नियत किया गया था। अपीलाधीन प्रकरण में प्रतिवादी की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई । प्रतिवादीगण की साक्ष्य बन्द भी नहीं की गई। जबकि प्रतिवादीगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक था। चूंकि मूल वाद में उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन कर ही तनकीवाईज गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना चाहिये था। स्वयं प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने जवाब दावे में अपने पिता के मांगू जी के गोद जाने के तथ्य को स्वीकार किया था। मांगू की मृत्यु के उपरान्त उसके हक हिस्से की कृषि आराजियात हरदेव के नाम दर्ज होना भी स्वीकार किया गया है।

14. साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना नितान्त आवश्यक था। जिससे प्रकरण में उभयपक्ष के हक हितों का अंतिम तौर से निस्तारण किये जाने में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेज सारभूत सहायक होते है। अपीलाधीन प्रकरण में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं की गई है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री का समर्थन नहीं किया जा सकता है।

15. अतः अपील अपीलार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 7.5.2018 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेज, का अवलोकन कर तनकीवाईज निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21/1/2020 को उपस्थित रहें।

(कैलाश चन्द्र [illegible])
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

16. निर्णय आज दिनांक 27.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

भू प्रवन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा